# न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- गजेन्द्र सिंह

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का गुडा

बनाम

श्री गणेश पुत्र गणपत जाति माली निवासी गुडा

तहसील उदयपुरवाटी

अंर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

**-:निर्णय:-**

प्रकरण संख्या:- 37/22 दिनांक 31.05.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गुडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2079 में मौजा ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा के हाल भूमि खसरा नम्बर 199 कुल रकबा 0.3700 है0 किस्म चाही 1 रकबा 0.34 है. व बजड डोल रकबा 0.03 है. मे से 0.36 है0 एव खसरा नम्बर 197 कुल रकबा 0.06 है0 किस्म चाही 1 रकबा 0.05 है. व बजड डोल रकबा 0.01 है. मे से 0.0150 है0 सरकारी भूमि पर श्री गणेश पुत्र गणपत जाति माली निवासी गुडा ने अनाधिकृत रुप से मकान, बाथरूम बनाकर अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल ईतला के अनुपस्थित रहा। उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

पत्रावली मे उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

**आदेश**

चाके ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा के हाल भूमि खसरा नम्बर 199 कुल रकबा 0.3700 है0 किस्म चाही 1 रकबा 0.34 है. व बजड डोल रकबा 0.03 है. मे से 0.36 है0 एव खसरा नम्बर 197 कुल रकबा 0.06 है0 किस्म चाही 1 रकबा 0.05 है. व बजड डोल रकबा 0.01 है. मे से 0.0150 है0 सरकारी भूमि श्री गणेश पुत्र गणपत जाति माली निवासी गुडा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरुप वार्षिक लगान 2.50 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 125/- रुपये (अक्षरे रु. एक सौ पच्चीस मात्र ) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एव भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

अन्दर ब. बु. 2022-23 पृष्ठ 40
रुपये 125/- जमा की गई